न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 20 वर्ष 2022

आवेदक–सुशीला देवी
ग्राम – किमोजोरिया परसबनी चेपरो
थाना – नावाडीह जिला–बोकारो

क्रेता– नेहल महतो
ग्राम– चिरूडीह टोला मुण्डाराटॉड
थाना –नावाडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदिका सुशीला देवी पति स्व0 भुनेश्वर महतो निवासी ग्राम किमोजोरिया टोला परसबनी थाना नावाडीह जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
चिरूडीह	59	35	814	29 डी0	15 डी0	

को वे अपने पुत्री के विवाह हेतु मो0 7,50,000/– (सात लाख पचास हजार) रूपये में क्रेता– नेहल महतो पिता स्व0 दुलार महतो निवासी ग्राम चिरूडीह टोला मुण्डराटॉड थाना नावाडीह जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 486/रा0 दिनांक 21.04.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक 85 दिनांक 27.07.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम किमाजोरिया एवं केता ग्राम चिरूडीह टोला मुण्डराटॉड एवं दोनो थाना–नावाडीह जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में भवनीया कुर्मी वगैरह के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी सुशीला देवी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 75/6 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि दान पत्र द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता स्वयं है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके स्वयं के नाम से दान पत्र द्वारा हासिल है तथा

जमाबन्दी बिक्रेता स्वयं के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- स्वयं के नाम दान पत्र की छायाप्रति, स्वयं के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता ग्राम किमाजोरिया एवं क्रेता ग्राम चिरूडीह टोला मुण्डराटॉड दोनों एक ही, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से दान पत्र जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदिका सुशीला देवी पति स्व0 भुनेश्वर महतो निवासी ग्राम किमोजोरिया परसबनी चेपरो थाना नावाडीह जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
चिरूडीह	35	814	29 डी0	15 डी0	जीतन महतो वो सोहराय महतो	रास्ता	जागेश्वर महतो	नीज आवेदिका
कुल 15 (पन्द्रह) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार)रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- नेहल महतो पिता स्व0 दुलार महतो निवासी ग्राम चिरूडीह टोला मुण्डराटॉड जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.04 12:24:23 +05:30
Location: 192.168.202.43

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।